प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.10.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 14.10.2025 को अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 गैंगस्टर अभियुक्त को 04 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/ रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/- रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त कन्नू उर्फ सुमित निवासी सती मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा अपने व सदस्यों के भौतिक लाभ हेतु लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर दिंनाक 14.04.2021 को **मु0अ0सं0-112/2021 धारा 2/3 यू0पी गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम चौधरी व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्रीमती मंजू शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.10.2025 को अन्तर्गत **धारा 2/3 यू0पी गैगेस्टर एक्ट में मा0 न्या0 एडीजे-10/स्पे0 गैगेस्टर कोर्ट, इटावा के द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष 06 माह का कारावास व 5000/- रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1.कन्नू उर्फ सुमित कश्यप पुत्र सोनू कश्यप निवासी सती मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा।